कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/मा–स/विविध दिवस/2018/201 दिनांक :14.03.2020

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
समस्त जिले ।

विषय :– समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, समस्त कोचिंग संस्थान, मदरसे एवं अन्य समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थान दिनांक – 30 मार्च, 2020 तक बंद रखने की सुनिश्चितता बाबत्।

प्रसंग :– क्रमांकः–शिविरा/माध्य/मा–स/विविध दिवस/2018/198 दिनांक :14.03.2020

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक आदेश के द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किए गए हैः–

> विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा केन्द्र सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के क्रम में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक – 30 मार्च, 2020 तक राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, समस्त कोचिंग संस्थान, मदरसे एवं अन्य समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद रहेगे।
>
> इस अवधि के दौरान चल रही समस्त प्रकार की कक्षा– 5, 8 की परीक्षाएं एवं कक्षा – 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार यथावत संचालित होगी। गैर सरकारी विद्यालयों की बोर्ड के अलावा समस्त परीक्षाएं 30 मार्च, 2020 के पश्चात संचालित होगी।
>
> इस अवधि के दौरान संस्था प्रधान एवं स्टाफ आवश्यक ऐहतियात बरतते हुए विद्यालय में उपस्थित रहकर बोर्ड सम्बन्धी एवं शाला सम्बन्धी आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे।

इस संदर्भ में आपसे निवेदन है कि अपने क्षेत्राधिकार के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें। अवेहलना करने वाले विद्यालयों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कृपया इस कार्यालय को सूचित करने का श्रम करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/मा–स/विविध दिवस/2018/201 दिनांक :14.03.2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि आदेश की पालना सुनिश्चित करावें तथा अवहेलना करने वाले विद्यालयों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर सूचित करावें :–

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक ।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी,समग्र शिक्षा अभियान ।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर